न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./76/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. गवरी पुत्री सरूपाराम 2. सिदू पुत्री सरूपाराम 3. घमू पुत्री सरूपाराम 4. लेहरा पुत्री सरूपाराम 5. अणदी पुत्री सरूपाराम 6. आचुकी पुत्री सरूपाराम, जातियान विश्नोई, निवासीगण कोलीयाणा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।	1. बालूराम पुत्र सरूपाराम 2. रूगनाथराम पुत्र सरूपाराम 3. किशनाराम पुत्र ठाकराराम 4. रमेश कुमार पुत्र किशनाराम 5. नेनू पुत्री किशनाराम 6. बीरबलराम पुत्र ठाकराराम 7. करनाराम पुत्र हरजीराम 8. कालूराम पुत्र हरजीराम 9. कुम्पाराम पुत्र बंशीराम 10. तेजाराम पुत्र बंशीराम 11. हनुमानराम पुत्र बंशीराम 12. सुरतीदेवी पुत्री बंशीराम 13. तुलसीदेवी पुत्री बंशीराम, जातियान विश्नोई, निवासीगण कोलियाणा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर। 14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2023 बउनवान गवरी वगैरह बनाम बालूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री केसराराम विश्नोई रेस्पों. संख्या 03 से 06 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

M. 94149-14111

—:निर्णय:—

दिनांकः—30.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोलियाणा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 7 रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 78 रकबा 7 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 118 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 7/220 रकबा 93 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 117 रकबा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है। वक्त सेटलमेंट से भागचंद, स्वरूपा पिता गुणेशा के नाम से खातेदारी दर्ज थी। अपीलांट्स स्वरूपा की जायन्दा पुत्रियां हैं। स्वरूपा के कुल आठ संताने है जिनका जन्म से ही विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये थे। वादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम, 1956 से शासित होते हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी का लगातार कब्जा—काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स के पिता स्वरूपा को अपने पैतृक हिस्से में अपने 1/18 हिस्से की भूमि का ही बेचान करने का अधिकार था लेकिन खसरा संख्या 107 में 57 बीघा भूमि का बेचान रामचन्द वल्द रामनारायण को कर दिया गया जो शुरू से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी जो पैतृक सहखातेदारी की आराजी थी को अपीलांट्स के पिता द्वारा विधिक बंटवारा करवाये बिना ही बेचान कर दिया है जो विधिक नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का जन्म से हक—हिस्सा निहित होने व कब्जा—काश्त होने से वादीगण घोषणा के अधिकारी हैं। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे अपीलांट के हितों पर कुठारघात हुआ है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया अपीलांट्स /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोलियाणा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 7 रकबा 107 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 78 रकबा 7 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 118 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 7/220 रकबा 93 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 117 रकबा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है। वक्त सेटलमेंट से भागचंद, स्वरूपा पिता गुणेशा के नाम से खातेदारी दर्ज थी। अपीलांट्स स्वरूपा की जायन्दा पुत्रियां है। स्वरूपा के कुल आठ संताने हैं जिनका जन्म से ही विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये थे। वादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम, 1956 से शासित होते हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त

(भवानी कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी का लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स के पिता स्वरूपा को अपने पैतृक हिस्से में अपने 1/18 हिस्से की भूमि का ही बेचान करने का अधिकार था लेकिन खसरा संख्या 107 में 57 बीघा भूमि का बेचान रामचन्द वल्द रामनारायण को कर दिया गया जो शुरू से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। उपरोक्त भूमि आगे से आगे बेचान होती रही है। वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 के नाम खातेदारी दर्ज है। इस तरह से बेचान शुरू से ही शून्य होने के कारण अपीलांट्स द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में 1/18 – 1/18 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी जो पैतृक सहखातेदारी की आराजी थी को अपीलांट्स के पिता द्वारा विधिक बंटवारा करवाये बिना ही बेचान कर दिया है जो विधिक नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का जन्म से हक–हिस्सा निहित होने व कब्जा–काश्त होने से वादीगण घोषणा के अधिकारी हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स जन्म से अविभक्त हिस्सा उत्पन्न हो गया है। एक सहदायिक का कब्जा सभी सहदायिक का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि बेचाननामों को निरस्त करवाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है जबकि वाद पत्र को पढने मात्र से स्पष्ट होता है कि वाद पत्र में बेचाननामों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद पत्र द्वारा चाहे गये अनुतोष की सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अपीलांट द्वारा वादपत्र में वाद हेतुक स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ होने के कारण भी उक्त समस्त तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के संयोजन व कुसंयोजन के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। वाद का निस्तारण साक्ष्य सुनवाई के पश्चात् गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किये जोन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे है। हस्तगत प्रकरण में हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण 01 के अनुसार हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित सम्पति का वह अंश माना जायेगा जो उसे विभाजन में मिलता अगर सम्पति का विभाजन मृत्यु से ठीक पहले होता है। मृत सहदायिक का हित मृत्यु की तिथि को सम्पति के विभाजन से ज्ञात किया जायेगा। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय उक्त समस्त विधिक तथ्यों पर गौर नहीं किया है। अपीलांट्स का अपनी पैतृक सहदायकी आराजी जिसमें जन्म से अधिकार है वह खातेदारी घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि के तथ्यों से परे जाकर पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत प्रकरण अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद विधि अनुसार वर्णन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जहां तक पैतृक संपति का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकारियों में सम्पति निहित होना एवं मौके पर भौतिक रूप से प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में भूमि विभाजित होने के पश्चात् उस सम्पति को पैतृक सम्पति नहीं माना जा सकता है। अपीलांट्स/प्रार्थीगण के अनुसार उनके कथित अविभक्त हिन्दू परिवार में विधि अनुसार स्वरूपा पिता गणेशा की पुत्रियां होना बताकर वाद प्रस्तुत किया गया था। जबकि अपीलांट्स के पिता की मृत्यु के समय अपीलांट्स वयस्क थे, इनकी पिता की मृत्यु के बाद हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किया जा चुका था। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। किसी भी कथित सहदायिक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाद की पुष्टि नहीं की ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि में सहदायिक का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा न ही स्त्री को संयुक्त परिवार की कर्ता माना जा सकता है। अतः अपीलांट के उक्त पैतृक सहदायिक कथन के उज्र का इस स्तर पर कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्तानुसार अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही पारित की गई प्रतीत होती है। वकील अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक तथ्य एवं साक्ष्य, सबूतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिक तथ्यों की घोर अवहेलना का द्योतक है। अपीलाधीन निर्णय हाजा न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना आवश्यक था किन्तु अपीलाधीन निर्णय मात्र प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92 क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2023 बउनवान गवरी वगैरह बनाम बालूराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत. विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

30/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर